


NOTICE INVITING OPEN BID AUCTION FOR SALE OF CHICKOO FRUITS FOR 2024-25

A public auction for sale of Chickoo Fruits produced/ harvest at Govt. Seed Multiplication Farm, Kachigam, during the period w.e.f. 01/08/2024 to 30/06/2025, will be held on **16/07/2024 at 11.00 a.m.** at Farmer Training Center, Kachigam, Daman by the auction committee. Interested parties are requested to remain present at Farmer Training Center, Kachigam during the auction for bidding, subject to terms & conditions given below:

TERMS AND CONDITIONS:-

1. The upset price for the bid is **₹ 2,71,000/- (Rupees Two Lakh Seventy One Thousand Only)** the intended bidder are required to bid above the upset price.
2. The auction shall be held on open bid system. Interested bidder shall have to deposit a token amount of **₹ 5000/- (Rupees Five Thousand Only)** in cash at a time of auction for taking part in it, the said amount shall be refunded back to unsuccessful bidder after the auction/bid.
3. An offer shall be considered as highest and final only if the amount of bid offered by the bidder is announced consequently three times uninterrupted.
4. The highest bidder has to pay full amount of bid through Cheque/ Demand Draft/ POS Machine/ Online Net Banking within three working days from the date of issue of letter regarding intimation of highest bidder for harvesting of Chickoo fruit otherwise their token amount of **₹ 5000/- (Rupees Five Thousand Only)** will be for forfeited the Government and offer will be given to Second highest bidder.
5. Assigning of any tree or trees in the orchard to other parties and /or subletting of any trees to other parties by any mean, by the successful bidder will not be allowed under any circumstances. .
6. The successful bidder will have to pay within 5 days from the date of demand an amount equal to 5% of the total value of the bid amount as Performance Guarantee in the form of FDR/ Demand Draft/ Cheque drawn in the favour of the **Director-cum-Joint Secretary (Agriculture), Daman** form any Nationalized /Scheduled Bank valid upto a period one years from the date of issuing order.
7. The bidder should ensure that he has to follow all the guideline of Corona virus /Covid-19 and others issued by the Govt. of India/ U.T. Administration from time to time.
8. The Bidder is himself responsible for transportation of the harvested fruits from the farm through labours / vehicle including obtaining vehicle permission etc. from the competent authority.
9. The Bidders should submit the copy of Aadhar Card along with as an Address Proof.
10. The amount deposited against Performance Guarantee will be released only after successful completion of tenure granted to such bidder for harvesting of Chickoo Fruits after deducting dues payable to the Government, if any.
11. The Chickoo Orchard will be open for the inspection by the interested person(s) between 10:00 Hrs to 17:00 Hrs on any working days, however, with prior permission of the I/c of Govt Seed Multiplication Farm, Kachigam, Nani Daman. The I/c of Govt Seed Multiplication Farm, Kachigam, Nani Daman, has authority to deny such permission for the reasons not to be explained to the interested person(s).
12. No any kind of damage shall be caused to the trees and other property of the Farm. In case of any such damage found the successful bidder has to compensate the same as per instructions of the I/c of Govt. Seed Multiplication Farm, Kachigam, failing which, the bidder will not be allowed to continue the harvesting of Chickoo Fruits. The Government shall not be responsible for the damages occurred to the bidder on account of such discontinuation of harvesting. If required, his Performance Guarantee/EMD lying with the department will also be forfeited to the Government in order to recover the losses caused to Government.
13. Department will not be responsible/ compensated for any damage / loss cause to the successful bidder due to any natural calamity or accidental fire.
14. The harvesting /grading /transportation / sale of fruits is allowed on all working days during working hours till the end of harvest season at the responsibility & cost of successful bidder.
15. The right to accept or reject all bids, without assigning any reason thereof, is reserved with the Director-cum-Deputy Secretary (Agriculture)/Head of Office, Agriculture Department, Daman.
16. All the disputes arising out in this matter in future are subject to the jurisdiction of the appropriate Court/ Authority in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu only.



(शिवम तेवतिया)

निदेशक सह सयुक्त सचिव (कृषि)

दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव

प्रतिलिपि :

1. All Govt. Offices in Daman District.
2. All Sarpanch of Village Panchayat in Daman District for wide publicity.
3. The Chief Executive Officer, District Panchayat, Daman.
4. The Chief Officer, DMC, Daman.
5. The P.A. to Secretary (Agriculture), DNH & Daman & Diu for information please.
6. The Director IT/DIO, NIC, Daman, with request to upload official website for wide publicity.
7. The Assistant Director (OL), Secretariat Daman, for translation in Hindi.
8. The Members of Chickoo Auction Committee, Daman.
9. The P.A. to the Director-cum- Deputy Secretary (Agri) for information please.
10. Notice Board.

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन

कृषि, मृदा संरक्षण एवं बागवानी विभाग

कृषि कार्यालय, दमण

फोन-फेक्स :- 0260 2230856

ई-मेल:- ddir-agri-dd@nic.in

सं.क्षे.कृ.का./दमण/चीकू फल/2024-25/36

दिनांक :- 03/07/2024

वर्ष 2024-25 के लिए चीकू के फलों की खुली बोली नीलामी / बिक्री की आमंत्रण हेतु सूचना

कृषि विभाग दमण के शासकिय बीज बहुलीकरण फार्म, कचीगाम में दिनांक 01/08/2024 से 30/06/2025 तक की अवधि के दौरान उत्पादित / उपजे चीकू फलों की बिक्री के लिए नीलामी, फसल समिति द्वारा दिनांक 16/07/2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे कृषक प्रशिक्षण केंद्र, कचीगाम, दमण में एक सार्वजनिक नीलामी आयोजित की गई है। इच्छुक पार्टियों से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए नियमों और शर्तों के अधीन नीलामी के दौरान बोली लगाने / खरीद करने के लिए कृषक प्रशिक्षण केंद्र, कचीगाम में उपस्थित रहें:

नियम एवं शर्तें:-

1. बोली के लिए निर्धारित मूल्य रु. 2,71,000 /- (रुपए दो लाख इकहतर हजार रुपये मात्र) है। इच्छुक बोलीदाताओं को निर्धारित मूल्य से ऊपर बोली की घोषणा करने की आवश्यकता है।
2. नीलामी खुली बोली प्रणाली के अनुसार आयोजित की जाएगी। इच्छुक बोलीदाताओं को इस नीलामी में भाग लेने के लिए नकद रुपए 5000/- (रुपए पांच हजार मात्र) की टोकन राशि जमा करनी होगी। असफल बोलीदाताओं को उक्त राशि नीलामी बोली के बाद वापस कर दी जाएगी।
3. किसी प्रस्ताव को अधिकतम और अंतिम तभी माना जाएगा जब बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित बोली की राशि की घोषणा तीन बार बिना अवरोध के की जाती है।
4. उच्चतम बोलीकर्ता को सूचित करने संबंधी पत्र जारी होने की तिथि से तीन कार्य दिवसों के भीतर चेक/डिमांड ड्राफ्ट/पीओएस मशीन आदि के माध्यम से बोली की पूरी राशि का भुगतान करना होगा, अन्यथा रु. 5000 (पांच हजार रुपए मात्र) की टोकन राशि को सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और प्रस्ताव दूसरे उच्चतम बोली लगाने वाले को दिया जा सकता है।
5. किसी भी परिस्थिति में सफल बोलीदाता द्वारा बाग में किसी भी पेड़ या पेड़ों को अन्य पार्टियों को सौंपने और किसी भी तरह से अन्य पार्टियों को किसी भी पेड़ को ऊपरी भाड़े पर देने की अनुमति नहीं है।
6. सफल बोलीदाता को मांग की तिथि से 5 दिनों के भीतर निष्पादन गारंटी के रूप में बोली राशि के कुल मूल्य के 5% के बराबर राशि का भुगतान किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक के एफडीआर/डिमांड ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से निदेशक सह संयुक्त सचिव (कृषि) के नाम आदेश जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक वैध, पदान करना होगा।
7. बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे भारत सरकार/संघ प्रदेश प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कोविड-19 आदि के सभी दिशा-निर्देशों और अन्य निर्देशों का पालन करना है।
8. सक्षम प्राधिकारी से वाहन की अनुमति आदि प्राप्त करने सहित मजदूरों/वाहनों के माध्यम से खेत में काटे गए फलों के परिवहन के लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार है।
9. बोलीदाताओं को पते के प्रमाण की प्रति के साथ आधार कार्ड की प्रतियां जमा करनी होगी।
10. निष्पादन गारंटी के संबंध में जमा की गई राशि, बोलीदाता को चीकू फलों की कटाई के लिए दिए गए कार्यकाल के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद सरकार को बकाया राशि, यदि कोई हो, काटकर जारी की जाएगी।
11. चीकू का बाग / उद्यान किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 17:00 बजे के बीच इच्छुक व्यक्ति(व्यक्तियों) द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा, हालांकि, प्रभारी, सरकारी कृषि फार्म, कचीगाम, नानी दमण की पूर्व अनुमति लेनी होगी, प्रभारी, सरकारी कृषि फार्म, कचीगाम, नानी दमण के प्रभारी के पास इच्छुक व्यक्ति(व्यक्तियों) को ऐसी अनुमति से बिना कारण बताए इनकार करने का अधिकार है।
12. फार्म के पेड़ों और अन्य संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इस तरह के किसी भी नुकसान के मामले में, सफल बोलीदाता को प्रभारी, सरकारी कृषि फार्म, कचीगाम, नानी दमण के निर्देशों के अनुसार क्षतिपूर्ति करनी होगी, ऐसा नहीं करने पर, बोलीदाता को चीकू के फलों की कटाई जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कटाई बंद करने के कारण बोलीदाताओं को हुई क्षति के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। यदि आवश्यक हुआ तो सरकार को हुए नुकसान की वसूली के लिए विभाग के पास पड़ी उसकी निष्पादन गारंटी/ईएमडी भी सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी।
13. किसी भी प्राकृतिक आपदा या आकस्मिक आग लगने के कारण सफल बोलीदाता को हुए किसी भी नुकसान / नुकसान के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा एवं कोई मुआवजा नहीं होगा।
14. सफल बोलीदाता की जिम्मेदारी और लागत पर कटाई के मौसम के अंत तक सभी कार्य दिवसों में फलों की कटाई / ग्रेडिंग परिवहन / बिक्री की अनुमति है।
15. सभी बोलियों को बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार कृषि विभाग, दमण के कार्यालयाध्यक्ष के पास सुरक्षित है।
16. भविष्य में इस मामले में उत्पन्न होने वाले सभी विवाद केवल संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव में उपयुक्त न्यायालय / प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

-Sd-

(शिवम तेवतिया)

निदेशक सह संयुक्त सचिव (कृषि)
दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव

प्रतिलिपि :

1. सभी सरकारी कार्यालय, दमण जिला।
2. दमण जिले की ग्राम पंचायतों के सभी सरपंचों को व्यापक प्रचार हेतु।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, दमण।
4. मुख्य अधिकारी, दमण नगरपालिका परिषद, दमण।
5. सचिव (कृषि) के निजी सहायक को कृपया सूचनार्थ।
6. जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र, दमण को व्यापक प्रचार के लिए सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. सहायक निदेशक (राजभाषा), दमण।
8. सदस्य, चीकू नीलामी समिति, दमण।
9. संयुक्त सचिव / निदेशक (कृषि) के निजी सहायक को कृपया सूचनार्थ।
10. सूचना-पट्ट।